न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 43 / 2023

अपीलांट – ***बनाम*** **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट –

1. श्रीमती पार्वतीकंवर पुत्री तारूसिंह (माता दाडमदेवी) पत्नी करणसिंह जाति राव निवासी धानसा तहसील भीनमाल जिला जालोर। हाल निवासी बाड़मेर ग्रामीण तहसील व जिला बाड़मेर
2. श्रीमती रसालकंवर पुत्री तारूसिंह (माता दाडमदेवी) पत्नी पारससिंह जाति राव निवासी धानसा तहसील भीनमाल जिला जालोर। हाल निवासी बाड़मेर ग्रामीण तहसील व जिला बाड़मेर
3. श्रीमती पवन कंवर पुत्री तारूसिंह (माता दाडमदेवी) पत्नी रमेशसिंह जाति राव निवासी राम कॉलोनी, माखुपुरा, सांचोर जिला जालोर हाल निवासी बाड़मेर ग्रामीण तहसील व जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. भीमसिंह पुत्र तारूसिंह (माता दाडमदेवी) जाति राव निवासी रेबारियों का वास, नासोली तहसील भीनमाल जिला जालोर
3. श्रीमती शारदादेवी पुत्री तारूसिंह (माता दाडमदेवी) पत्नी पाबूसिंह जाति राव निवासी गोदन तहसील आहोर जिला जालोर
4. श्रीमती रतन कंवर उर्फ रतनदेवी पुत्री तारूसिंह (माता दाडमदेवी) सावलदान जाति राव निवासी रेबारियों का वास, नासोली तहसील भीनमाल जिला जालोर
5. चैनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राव निवासी रावो की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
6. नथूदेवी पुत्री वीरोदेवी जाति राव निवासी महिला वास, तहसील सिवाणा, जिला बाड़मेर
7. प्यारी देवी पत्नी उम्मेदसिंह
8. शिवदानसिंह पुत्र मोतीसिंह
9. सवाईसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
10. हरीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जातियान् राव निवासी रावो की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
11. मोहरोदेवी पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 4270 दिनांक [illegible] 2023 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह राठोड़, रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पवन सिंहल, रेस्पोडेंट सं. 5 की ओर से उपस्थित।
4. श्री सुरेश कुमार पूनड़, रेस्पोडेंट सं. 6से10 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेंट सं. 3व4,11 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
6. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 25.11.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा बाड़मेर शहर, तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 4270 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 10.05.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा संख्या 4109 / 1601 कुल रकबा 1–2302 हेक्टेयर भूमि दाडमदेवी पुत्री वीरोंदेवी जाति राव सा0 देह संयुक्त खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट्स की माता दाडमदेवी का देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4270 दिनांक 10.05.2023 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने दिनांक 05.09.2023 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:14 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से निवेदन किया है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2से4 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि पैतृक व

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पुश्तैनी भूमि बाड़मेर शहर में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 2से4 की माता दाडमदेवी के फौतगी बाबत अपीलांट्स से छुपे तोर पर उतरदाता संख्या 02 ने एक फर्जी एवं कुटरचित शपथ-पत्र निष्पादित करते हुए शपथ-पत्र में दाडमदेवी का ईकलोता पुत्र होने का हवाला देते हुए हल्का पटवारी बाड़मेर शहर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4270 स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया, जो सरासर गलत व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स की माता का जीवनकाल से लगातार कब्जा-काश्त चला आ रहा था किन्तु कुछ अरसा पुर्व जब उतरदाता संख्या 2व5 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स के कब्जे-काश्त में हस्तक्षेप करने एवं जबरन कब्जा कर अपीलांट्स को बेदखल करने की धमकी दी, तब अपीलांट्स को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से जानकारी हुई जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो नकल दिनांक 30.05.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 4270 दिनांक 10.05.2023 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 व [illegible] में निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि राजस्व [illegible] के नाम से ही दर्ज है, इस कारण उसे अपनी [illegible] बेचान करने का पूर्ण हक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में [illegible] विधिसम्मत समस्त प्रक्रिया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पालन पूर्णतया से किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील निराधार एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 6से10 के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण मृतक के सभी उतराधिकार की जांच किये बिना पारित किया गया है। जो अवैध एवं दूषित होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से10 का भी उतराधिकार में हक हिस्सा होने से उनके पक्ष में नामान्तरकरण दायर करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमावे।

8. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा संख्या 4109 / 1601 कुल रकबा 1–2302 हेक्टेयर भूमि दाडमदेवी पुत्री वीरोंदेवी जाति राव सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार दाडमदेवी का देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4270 दिनांक 10.05.2023 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने दिनांक 05.09.2023 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 02 से 04 एक ही परिवार के सदस्य है इनकी माता दाडमदेवी के फौतगी के बाद पक्षकारान समान रूप से विधिक वारिशान थे। उक्त फौतगी का नामान्तरकरण पांचो पुत्री व एक पुत्र के नाम से स्वीकृत किया जाना था परन्तु वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण दाडमदेवी के पुत्र के नाम स्वीकृत किया गया है। उतरदाता संख्या 1 ने [illegible] फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण पारित कर[illegible] वारिसों की कोई जांच की और न ही अपीलांट्[illegible] दिया न ही वादग्रस्त भूमि का मौके का निरीक्षण किया। इस प्रकार प्राकृतिक सिद्धान्तो की अवहेलना कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

उतरदाता संख्या 1 द्वारा एकतरफा नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करने के काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम से ही दर्ज है, इस कारण उसे अपनी खातेदारी की भूमि का बेचान करने का पूर्ण हक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में भी विधिसम्मत समस्त प्रक्रिया का पालन पूर्णतया से किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील निराधार एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 6से10 के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण मृतक के सभी उतराधिकार की जांच किये बिना पारित किया गया है। जो अवैध एवं दूषित होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6से10 का भी उतराधिकार में हक हिस्सा होने से उनके पक्ष में नामान्तरकरण दायर करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमावे। इस प्रकार उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों से यह निर्विवाद हैं तथा रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 6से10 को मृतक दाड़मदेवी के उत्तराधिकारी नहीं होने बाबत कोई अभिकथन साक्ष्य सहित प्रकट नहीं किया हैं, ऐसे में मृतक के सभी उत्तराधिकारियों की जांच व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया हैं, जो विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाना प्रतीत होता है। जहां तक अपील प्रस्तुत करने में करीब 3 माह का विलम्ब हुआ हैं तो जब अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित हुआ हैं तो अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं होने का कारण संतोषप्रद हैं। इसके अलावा भी यह विलम्ब अवधि इतनी असामान्य भी नहीं है, जिसके लिये उत्तराधिकार से वंचित किये जाने का कठोर निर्णय लिया जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा समस्त उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण [illegible] पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2023 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा बाड़मेर शहर के नामान्तरकरण सं. 4270 पर पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि मृतक खातेदार दाडमदेवी के विधिक वारीसान की जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करावें।

10. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:55:14 IST
Reason: SelfAttested